

केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांक:-3(54)BK/2000/


दिनांक:- 04.02.2014

निविदा प्रपत्र

- | | |
|--|---|
| 1- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | : दिनांक 28.02.2014 दोपहर 1.00 बजे |
| 2- निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय | : दिनांक 28.02.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से |
| 3- अरनेस्ट राशि | : रू 3,000(रूपये तीन हजार मात्र) |
| 4- निविदा की मान्य अवधि | : 120 दिन |
| 5- निविदा शुल्क | : रू.500/- |

उन कल्पन ठेके कार्य एवं नियम व शर्तें

- 1.. अनुबंध की अवधि दिनांक 1.3.2014 से 31.3.2015 तक की होगी। लेकिन इस संस्थान परिसर द्वारा बिना पूर्व सूचना के उक्त अवधि कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
2. सफल निविदादाता को संस्थान से सूचना प्राप्त होते ही 10% राशि जमानत राशि के रूप में तीन दिन के अन्दर जमा करवानी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर जमा अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. ऊन कल्पन कार्य आरम्भ होते ही कम से कम प्रति दिन 125 भेड़ों की ऊन काटनी होगी। एवं ऊन कतराई का कार्य लगातार करना होगा। संस्थान के सेक्टरों पर चराई ठेकेदार के कार्यरत मजदूरों को ऊन कल्पन के कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।
4. ऊन कतरने के लिये उपयोग में आने वाले औजारों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।
5. ऊन कतरने का कार्य भेड़ों के बाड़े में सेक्टरों पर करना होगा।
6. ऊन कतरने से पहले भेड़ों को प्रभारी सेक्टर की देख-रेख में अच्छी तरह नहलाना होगा।
7. ऊन कल्पन का कार्य सम्बन्धित अन्य कार्य प्रभारी सेक्टरों के निर्देशानुसार ही करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्रभारी सेक्टर के मौखिक या लिखित आदेश मिलने पर 10दिन की अवधि में पूरा करना होगा।
9. ऊन कतरने के बाद ऊन को प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार बोरों में भर कर तुलवाना होगा तथा यथा स्थान/स्टोर में रखना होगा।
10. श्रम विभाग में लेबर सप्लाय हेतु पंजीयन होना एवं आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य के दौरान लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भुगतान करना होगा और उसका एक वेजेज रजिस्टर खोलकर उसमें मजदूरों के भुगतान का ब्यौरा तथा उनके भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर करवाने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी को रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।
12. कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति कर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वेजेज एक्ट के मुताबिक मजदूरों को भुगतान किया है। प्रस्तुत बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
13. कार्य के दौरान लगाये गये मजदूरों द्वारा या आपके द्वारा संस्थान की किसी भी संपत्ति को नुकसान होता है तो उसकी क्षति पूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
14. ठेकेदार को श्रम कानूनों व न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। ठेकेदार को भुगतान की जानकारी (acquaitance roll) की एक प्रति कार्यालय को बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
15. निविदा के साथ रूपये 3000/- अरनेस्ट राशि बतौर डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में तथा पंजाब नेशनल बैंक बीछवाल शाखा, बीकानेर में भुगतान योग्य हो, निर्धारित तिथि एवं समय तक क्रय एवं भण्डार अनुभाग में रखे टेण्डर बॉक्स में डालना होगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क रू.500/- का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. संस्थान को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और प्रभागाध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा और आपको मान्य होगा।



सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मुझे मंजूर हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है। ऊन कल्पन के लिए मेरी दर रूपये.....(अक्षरे रूपये.....) प्रति भेड़ होगी।

हस्ताक्षर.....

नाम